Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2018 = 6.371, www.srjis.com
PEER REVIEWED JOURNAL, JULY-AUG, 2018, VOL- 6/46

'लिंग–परीक्षण एवं कन्या भ्रूण हत्या हेतु प्रेरक तथा उत्तरदायी कारण'

[जिला मैनपुरी (उ0प्र0) के विशेश सन्दर्भ में एक अध्ययन]

किरन यादव

(शोध अध्येता समाजशास्त्र),जे0एस0 यूनिवर्सिटी, शिकोहाबाद, जनपद– फिरोजाबाद (उ0प्र0)

Abstract

विकासशील राश्ट्र भारत में कहा जाता है कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' अर्थात् जहाँ नारियों का पूजन होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। कहना युक्ति संगत है कि आज भी हमारे देश में नवरातों में कन्या पूजन किया जाता है। उसी राश्ट्र में कन्या भ्रूण हत्या यकीनन घोर चिन्ता का विशय है। 'अहिंसा परमोधर्मः', 'जीयो और जीने दो' तथा 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसी सार्थक घोशणाएं जहाँ की जाती हों, वहाँ कन्याओं के विरूद्ध जारी हिंसा निं चत तौर पर अत्यन्त विसंगतिपूर्ण घिनौना कृत्य है। क्योंकि एक ओर तो हम महिला स ाक्तिकरण, नारी–मुक्ति, नारी स्वतंत्रता, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ जैसी बड़ी–बड़ी बातें करते हैं; वहीं दूसरी ओर हम उसके 'जन्म लेने के अधिकार' पर कुठाराघात कर उसे जन्म लेने से ही वंचित कर रहे हैं। अन्य भाब्दों में नारी जो कि ' ाक्ति पुँज' है; को प्रज्वलित होने तक का अवसर तक प्रदान नहीं किया जा रहा है। तथाकथित सम्भ्रान्त, शिक्षित तथा सभ्य व सुसंस्कृत कही जाने वाली दम्पत्तियाँ चोरी छुपे आधुनिक तकनीकों का सहारा लेकर 'कन्या भ्रूण परीक्षण कराकर' कन्या होने की दशा में गर्भपात करा लेते हैं। यह कुकृत्य देश के किसी एक भाग में नहीं; समूचे भारत की ज्वलन्त 'सामाजिक समस्या' है। भारतीय समाज में स्वतंत्रता, समानता तथा सामाजिक न्याय; एवं मानवाधिकार जैसी महत्वपूर्ण संकल्पनाओं/अवधारणाओं की चर्चा भले ही होती हो; लेकिन इसी परिवेश में ई वर की ही कृति 'कन्या' जिससे सन्ततियाँ चलती हों; को इतना भी अधिकार नहीं कि वह जन्म लेकर जीवन जी सके। परोक्षतः यदि माता–पिता तथा परिजनों की इच्छा न हो तो वह इस धरती पर जन्म लेने की भी अधिकारिणी नहीं है। 'बढ़ते लिंगानुपात' (आनुपातिक असन्तुलन) के कारण माता–पिताओं के दृश्टिकोणों को परखना आव यक समझा गया; ताकि लड़कियों की घटती संख्या के उत्तरदायी कारणों को जाना जा सके। अत्यन्त महत्वपूर्ण किन्तु दुःखद तथ्य यह है कि औद्योगीकरण, नगरीकरण, उत्तरोत्तर वृद्धि करती शिक्षा एवं महिला व बाल विकास के अतिरिक्त महिला विकास की विभिन्न योजनाओं के सतत् क्रियान्वयन के बावजूद भी स्तर उन्नत होने के बजाय संख्या निरन्तर घट रही है। यह सोच कि बेटी पराया धन है, बहुत दहेज देना पड़ेगा, बेटियों से मुक्ति नहीं मिलेगी, वंश नहीं चलेगा, बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा आदि हमारी पितृसत्तात्मक मानसिकता तथा सुलभ आधुनिक चिकित्सीय तकनीकों के दुरूपयोग का परिणाम है। रूढ़िवादिता व परावलम्बिता के कारण महिलाएं; मजबूरीवश ससुराल में इज्जत पाने, सास व परिजनों के तानों से बचने के लिए स्वयं परीक्षण कराती हैं, और भ्रूण के कन्या होने पर गर्भपात (Abortion) करा देती हैं। इस प्रकार प्रति वर्श 20 लाख कन्या भ्रूण की कब्र, महिला/माँ की कोख में ही बन जाती है; और 'माँ' भारीरिक व मानसिक यातनाओं से ग्रसित हो जाती हैं। सुस्पश्ट है कि कन्याओं की घटती संख्या का खामियाजा भी; स्वयं लड़कियों को ही भुगतना पड़ता है।

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

अवधारणात्मक दृश्टि से 'प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण' प्रायः तीन आधुनिक तकनीकों (1) कोरियोनविलस बायोप्सी, (2) एम्नियो सिंटेसिस, तथा (3) अल्ट्रा सोनोग्राफी द्वारा किया जाता है। इन परीक्षणों का उपयोग सैद्धान्तिक रूप से गर्भ में पल रहे भ्रूण/बच्चे में किसी प्रकार की कमी की जाँच

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

तथा बीमारी से बचाव के लिए किया जाता है। परन्तु वास्तविकता यह है कि इन परीक्षणों के माध्यम से गर्भ में हो बच्चे का 'लिंग' जानने के लिए किया जाता है, ताकि यदि गर्भस्थ शिशु लड़की है तो उसका गर्भपात कराकर उसके जन्म से छुटकारा पाया जा सके। इन तकनीकों में चिकित्सक गर्भ में 10वें या 11वें सप्ताह में भ्रूण का लिंग बता देते हैं। परन्तु इन परीक्षणों के कुछ दुश्परिणाम यथाः बार–बार गर्भ क्षय, यौनि संक्रमण, खून की कमी हो जाना आदि प्रमुख हैं, जो प्रायः होते रहते हैं। लेकिन शायद ही कभी; भुक्तभोगी को चिकित्सकों द्वारा बताए जाते हों; क्योंकि आज मानवीय जीवन के हर क्षेत्रान्तर्गत 'व्यापारिक दृश्टिकोण' इतना बढ़ गया है कि पत्येक कार्य का अन्तिम लक्ष्य 'केवल और केवल' पैसा कमाना ही रह गया है; अतः चिकित्सा क्षेत्र भी इससे अछूता क्यों रहे? साम्प्रत; न अछूता रह रहा है क्योंकि ये परीक्षण प्रायः 'प्राइवेट नर्सिंग होम्स' में चोरी छिपे किए तथा कराए जा रहे हैं। जबकि कानूनी दृश्टि से 'भ्रूण का लिंग परीक्षण' करना/कराना तथा गर्भपात कराना कानूनन अपराध घोशित है जिसके तहत ऐसा करवाने वालों को एक वर्श का कठोर दण्ड (कारावास) और 50,000 रू. तक के अर्थदण्ड का प्रावधान है। सन् 1994 में "Pre-natal Diagnostic Techniques Act: 1994" बनाया गया जिसका एकमात्र उद्दे य 'भ्रूण के लिंग का परीक्षण करने/कराने तथा कन्या भ्रूण हत्या' पर रोक लगाना था। भारतीय दण्ड विधान के कड़े प्रावधानों के बावजूद भी आज भी इस प्रकार के लिंग परीक्षण तथा कन्या होने पर गर्भपात चोरी छिपे किए तथा कराए जा रहे हैं जिसके विभिन्न दुश्प्रभाव (बाँझपन, कमर दर्द रहना, कमजोर स्वास्थ्य, यौनि–संक्रमण, खून की कमी, गर्भ न ठहरना, बच्चेदानो का केंसर इत्यादि) कुकृत्य कराने वाली ऐसी महिलाओं को ही झेलने पड़ते हैं।

अध्ययन के उद्देश्य :

यद्यपि प्रस्तुत शोध–पत्र का मौलिक उद्दे य 'कन्या भ्रूण हत्या हेतु प्रेरक तथा उत्तरदायी कारणों का अध्ययन करना' है, लेकिन अन्य पूरक उद्देश्य इस प्रकार हैं–

(1) सूचनादाताओं की वैयक्तिक तथा सामाजिक पृश्ठभूमि की जानकारी करना।

(2) कन्या भ्रूण हत्या हेतु प्रेरकों तथा उत्तरदायी कारणों का अध्ययन करना।

(3) सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों को जानकारी करना तथा लिंग परीक्षण एवं कन्या भ्रूण हत्या के सम्बन्ध में निश्कर्श तथा सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन पद्धति :

अध्ययन के समग्र जिला मैनपुरी (उ0प्र0) के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रान्तर्गत संज्ञान में आए संचालित (चोरी छिपे) कुल 14 'निजी नर्सिंग होम्स' में विगत 15 वर्शों में किए गए 'कन्या भ्रूण परीक्षण' एव गर्भपात कराने वाली विवाहित (दाम्पत्य जीवन वाली) महिलाओं के डॉक्टर्स के रजिस्टर्स में पंजीकृत प्रकरणों के रिकॉर्ड्स के आधार पर उनके ''डोर टू डोर सर्वे'' करके पाए गए कुल 391 प्रकरणों (Cases) में से 100 प्रकरणों का चयन ''संयोग न्याद र्ा की लाटरी विधि'' से किया गया। इन प्रकरणों

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

से सम्बन्धित ''दम्पत्तियों'' की 'केस स्टडीज' गहनता से करके उनके (100 पति व 100 उनकी पत्नियों) अर्थात् कुल 200 व्यक्तियों के व्यक्तिगत साक्षात्कारों (Personal Interviews) द्वारा तथ्य (Facts) संकलित करके उनके विचारों के आधार पर आनुभविक निश्कर्श स्थापित किए गए हैं। सम्बन्धित तथ्यात्मक विवरण अग्राँकित है :–

तालिका नं. (1) : निदर्श सूचनादाताओं की पृश्ठभूमि

1	धार्मिक संरचना	हिन्दू 184(92.00)	इस्लाम 16(8.00)	बौद्ध/अन्य 00(00.00)	– 00(00.00)	समस्त 200(100.00)
2	जातीय संरचना	सवर्ण 102(51.00)	पिछड़ी 78(39.00)	अनुसूचित 20(10.00)	– 00(00.00)	समस्त 200(100.00)
3	व्यावसायिक संरचना	कृशक 24(12.00)	मजदूर 00(00.00)	व्यवसायी 26(13.00)	नौकरीपे ाा 150(75.00)	समस्त 200(100.00)
4	परिवे ा/पृश्ठभूमि	नगरीय 140(70.00)	ग्रामीण 20(10.00)	कस्बाई 40(20.00)	– 00(00.00)	समस्त 200(100.00)
5	भौक्षिक स्तर	उच्च शिक्षित 150(75.00)	कम शिक्षित 50(25.00)	अशिक्षित 00(00.00)	– 00(00.00)	समस्त 200(100.00)
6	सामाजिक– आर्थिक स्तर	उच्च 152(76.00)	उच्च–मध्यम 32(16.00)	मध्यम 16(8.00)	निम्न 00(00.00)	समस्त 200(100.00)

प्रस्तुत तालिकान्तर्गत सूचनादाताओं की पृश्ठभूमि का परिदृश्य; विभिन्न परिवर्त्यों (Variables) यथाः धर्म, जाति, व्यवसाय, परिवेश, शिक्षा तथा आर्थिक स्तर सापेक्ष उनकी आवृत्तियाँ व प्रति ात में प्रदर्शित हैं। स्पश्ट है कि भ्रूण का लिंग परीक्षण करवाने वालो में ऐसे परिवारों (दम्पत्तियों) की संख्या अधिक है जो उच्च सामाजिक–आर्थिक वाले तथा उच्च शिक्षित वर्ग के हैं एवं सेवारत हैं। आँकड़े यह भी दर्शाते हैं कि 200 पति– पत्नी में से 150(76%) उच्च शिक्षित लोगों के थे; अ ाक्षित व कम शिक्षित लोगों को इस प्रकार के परीक्षणों की जानकारी ही नहीं है, तालिका यह भी स्पश्ट करती है कि लिंग परीक्षण सम्बन्धी रूझान व्यवसायी एवं नौकरीपे ाा वर्ग में अधिक क्रम ाः 13% तथा 75% देखा गया, और परिवेश की दृश्टि से 140(70%) प्रकरण नगरीय पृश्ठभूमि के पाये गये क्योंकि ग्रामीण अंचलों मे न तो आधुनिक चिकित्सीय सुविधाएं सुलभ (उपलब्ध) हैं; और न ही उन्हें इनकी जानकारी है। अध्ययन किए गए कुल 200 सूचनादाताओं (100 पति तथा 100 उनकी पत्नियाँ) से 'लिंग–परीक्षण' कराने हेतु सुझाव देने वालों अर्थात् प्रेरकों (Motivaors) (जो कि प्रायः पति, परिजन, मित्र–दोस्त/सहेलियाँ अथवा निकट के रिश्तेदार होते हैं) के बारे में पूछा गया कि ''आप को लिंग परीक्षण कराने के लिए किसने प्रेरित किया?'' प्राप्त तथ्यों पर निम्न तालिका नं. (2) संक्षिप्त प्रका ा डालती है–

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

तालिका नं. (2) : लिंग–परीक्षण कराने हेतु उत्तरदायी प्रेरक

क्रम	लिंग परीक्षण हेतु उत्तरदायी प्रेरक	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1	पति की इच्छा	85	42.50
2	स्वयं (पत्नी) की इच्छा	30	15.00
3	स्वयं की इच्छा व पति की भी सहमति	17	08.50
4	सास–ससुर व अन्य परिजनों की इच्छा	63	31.50
5	मित्र–दोस्त/सहेली/निकट सम्बन्धी	5	02.50
	समस्त	200	100.00

प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक तथ्यों के प्रका ा में स्पश्ट है कि गर्भ में भ्रूण का लिंग परीक्षण करवान तथा कन्या होने पर भ्रूण हत्या को प्रेरित करने वालों में 42.50% प्रकरण पति की इच्छा से, 15% स्वयं की इच्छा, सर्वाधिक 31.5% प्रकरण सास–ससुर व अन्य परिजनों की इच्छा, 8.50% प्रकरण पति की सहमति व स्वयं की इच्छा और मात्र 2.50% प्रकरण मित्र दोस्त/सहेली व निकट रि तेदारों (ननद) आदि के कहने पर कराए गए। सुस्पश्ट है कि कन्या भ्रूण हत्या हेतु प्रमुख प्रेरित करने वालों में पति, स्वयं तथा सास–ससुर व अन्य परिजनों की भूमिकाएं महत्वपूण हैं। 200 प्रकरणों में से 30(15%) प्रकरण स्वयं (पत्नी) की इच्छा के पाए गए हैं; इनमें अधिकां ा उच्च ि ाक्षित नौकरीपे ाा थीं। सुस्पश्ट है कि महिलाएं स्वयं भी कन्या जन्म को अभि ााप मानती हैं।

ाोधार्थिनी की दृश्टि में कन्या भ्रूण हत्या के कुछ प्रेरक 'सामाजिक–आर्थिक' भी हैं। यथा हमारे यहाँ लड़कियों को परिवार पर एक अवाँच्छित बोझ माना जाता है क्योंकि ऐसी मानसिकता है कि उसके विवाह पर दहेज रूप में काफी धन अपव्यय करना पड़ता है; इसके, विपरीत मानसिकता है कि लड़का उल्टे 'दहेज' लाता है। साथ ही लड़के को 'भविश्य का सहारा' माना जाता है, वह कमाकर परिवार का भरण पोशण करता है जबकि लड़की की ि ाक्षा पर व्यर्थ में ही धन खर्च होता है जिससे भविश्य में कोई लाभ नहीं होता। धार्मिक दृश्टि से भी पुरूश से ही वं ा चलता है, वही अन्तिम संस्कार करता है, लड़के का होना इस पुरूश प्रधान समाज में सम्मान सूचक माना जाता है जबकि लड़की के पिता का सिर सदैव झुका ही रहता है; अतः लड़के की 'चाहत' और अधिक मुखर/बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक दृश्टि से भी लड़की को बोझ ही माना जाता है क्योंकि माता–पिता को उसके पालन पोशण एवं (वर्तमान सन्दभ में) उसकी सुरक्षा की समस्या पर वि ोश ध्यान केन्द्रित करना पड़ता है। साथ ही हमारा सामाजिक–साँस्कृतिक परिवे ा ऐसा है कि स्त्रियों को अपने तथा अपनी सन्तान सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से भी वंचित रखा जाता है। ाोधार्थिनी का मानना है कि इन्हीं कन्या विरोधी पूर्व धारणाओं का परिणाम लिंग–परीक्षण तथा 'कन्या भ्रूण हत्या' जैसे घिनौने एवं संवेदनहीन कुकृत्यों के रूप में सामने है; लेकिन यह घोर चिन्तन का विशय है कि क्या ऐसी (उपर्युक्त) मानिकसता तथा सोच उचित है? अर्थात् कदापि नहीं।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

ोधार्थिनी ने सर्वेक्षण करते समय सभी 200 सूचनादाताओं से व्यक्तिगत तौर पर यह भी प्र न पृथकतः पूछकर जानकारी हासिल की कि लिंग परीक्षण व कन्या भ्रूण हत्या के पीछे कौन–कौन से कारक उत्तरदायी रहे? व्यक्तिगत साक्षात्कारों से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी पर निम्न तालिका नं. (3) संक्षिप्त प्रका ा डालती है–

तालिका नं. (3) : लिंग–परीक्षण तथा कन्या भ्रूण हत्या हेतु उत्तरदायी कारण

(बहुउत्तरीय तालिका)

क्रम	लिंग परीक्षण तथा कन्या भ्रूण हत्या हेतु उत्तरदायी प्रेरक	आवृत्तियाँ	प्रति□ात
1	क	176	88.00
2	ख	8	04.00
3	ग	16	08.00
4	(क+ख)	184	92.00
5	(ख+ग)	24	12.00
6	(ग+क)	192	96.00
7	(क+ख+ग)	200	100.00

संकेताक्षर : क = लड़के की चाहत

ख = बड़ा परिवार

ग = उत्तरोत्तर बढ़ता दहेज

प्रसंगाधीन तालिका नं. (3) के प्राथमिक तथ्यों के वि लेशण के आलोक में स्पश्ट है कि 88% दम्पत्तियों ने लड़के की चाहत में लिंग परीक्षण कराकर गर्भपात कराया, वहीं 4% ने बड़ा परिवार होने के कारण; तथा 8% ने उत्तरोत्तर बढ़ते हुए दहेज के कारण (कि दहेज देना पड़ेगा) लिंग–परीक्षण कराया तथा कन्या भ्रूण होने पर गर्भपात कराया। तालिका के तथ्य यह भी स्पश्ट करते हैं कि 'लिंग–परीक्षण तथा कन्या भ्रूण हत्या' कराने के पीछे एकाधिक कारण उत्तरदायी हैं। जिनमें लड़के की चाहत, उत्तरोत्तर बढ़ता दहेज तथा परिवार बड़ा होना प्रमुख है।

निश्कर्श एवं सुझाव :

यह भोध–प्रपत्र, वैयक्तिक अध्ययनों के माध्यम से किए गए आनुभविक अध्ययन से जो तथ्य उभरकर आए हैं कि अधिकाँ ातः तथाकथित सु ाक्षित, सभ्रान्त, नौकरीपे ाा वर्ग जो आर्थिक दृश्टि से सम्पन्न कहे जाने वाले तथा आधुनिक व भौतिकवादी सोच वाले लोगों में इस प्रकार के परीक्षण व कन्या भ्रूण हत्या के प्रकरण अधिक पाए गए हैं जो 'माँ' के स्वास्थ्य की परबाह किए बिना तथा कठोर कानूनों के बावजूद भी कराए गए हैं जो 'हत्या' जैसे कलंक समान हैं; इसके लिए आव यक है कि जनजागरण कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं में जागरूकता जनित की जाय और कानूनों को और अधिक सख्त बनाते हुए

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

प्रभावी ढंग से लागू किया जाय; क्योंकि इस सन्दर्भ में केवल कानून बना देना ही काफो नहीं है; बल्कि भाासन को वि ोश सतर्कता बरतते हुए इस सम्बन्ध में कठोर कदम उठाने चाहिए। साथ ही बेटा–बेटी के प्रति दोहरी मानसिकता त्याग कर इस विशय में सामाजिक चेतना जागृत करनी होगी; दोशियों को दण्डित करना होगा, भाोधार्थिनी की मान्यता है कि इस सन्दर्भ में स्वयंसेवी संगठनों (NGOs) की भूमिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इन संगठनों को चाहिए कि वह जनता में परिवार कल्याण एवं जन्म–नियंत्रण साधनों का सक्रियता के साथ प्रचार–प्रसार करें तथा सीमित परिवार की संकल्पना के प्रति दम्पत्तियों में जागरूकता जनित करें। कोरे 'स्लोगन्स' 'बेटा–बेटी एक समान', बेटी बचाओ बेटी–पढ़ाओ', 'जीयो और जीने दो', 'अहिंसा परमोधर्मः', 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्त तत्र देवता' आदि चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। भ्रूण परीक्षण तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसे अति संवेदन ाील, दिल दहलाने वाले घिनौन कुकृत्य; सामाजिक परिवे ा में अति निंदनीय हैं। अगर इस समस्या पर भाीघ्र अंकु ा नहीं लगाया गया तो इसके दूरगामी परिणाम राश्ट्र के विकास में बाधक होंगे क्योंकि ''लिंग असमानता की समस्या'' हमारे समक्ष सुरसा की भाँति 'मुँहबाये' खड़ी है।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies